रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन) 128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 22, 1991 (आषाढ़ 1, 1913)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 22, 1991 (ASADHA 1, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 01 जून 1991

भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन नियमावली, 1990

सं० डी०ई० एल० सं०-ईस्ट-/6612/ पेंशन-90/91— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 58 की उप धारा (2) के खंड (ञ) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

अध्याय–I

प्रारंभिक

1. लघुशीर्षक और प्रारंभ

(1) इस विनियमावली को भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियमावली 1990 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम दिनांक 01 नवम्बर 1990 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कोई अन्यथा संदर्भ न हो :—

(1) "अधिनियम" से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) से है;

(2) "औसत परिलब्धियां" से अभिप्राय कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा के पिछले 10 महीनों के द्वारा आहरित वेतन के औसत से है;

(3) "बैंक" से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक से है;

(4) "केन्द्रीय बोर्ड" से अभिप्राय अधिनियम के अधीन गठित बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड से है;

(5) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय वही है जो भारतीय रिजर्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 1948 में दिया गया है;

(6) "सेवा निवृत्ति की तारीख" से अभिप्राय उस तारीख से है जिस तारीख को कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है अथवा बैंक द्वारा सेवा निवृत्त किया जाता है अथवा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकार करता है;

(7) "कर्मचारी" से अभिप्राय बैंक की सेवा में नियुक्त पूर्णकालिक कार्य अथवा साप्ताहिक तेरह घंटों से अधिक अंश कालिक कार्य करने वाले व्यक्ति से है किंतु इसमें संविदा आधार पर अथवा दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं होंगे ;

(8) "परिवार" से अभिप्राय,

(क) पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी और महिला कर्मचारी के मामले में पति से है, बशर्ते कि विवाह कर्मचारी की सेवा निवृत्ति पूर्व हुआ हो;

(ख) पुत्र जिसने आयु के पच्चीस वर्षों को पूर्ण न किया हो और अविवाहित पुत्री जिसने आयु के पच्चीस वर्षों को पूर्ण न किया हो इसमें सेवा निवृत्ति से पहले विधिवत दत्तक रूप में ग्रहण किया हुआ पुत्र अथवा पुत्री शामिल हैं किन्तु इसमें सेवा निवृत्ति के बाद दत्तक रूप में ग्रहण किए गए पुत्र अथवा पुत्री शामिल नहीं होंगे तथापि, परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए पिता की मृत्यु के उपरांत उत्पन्न संतान (पोस्टुमस चाइल्ड) पात्र हैं;

(9) "वेतन" में निम्नलिखित शामिल है :—

(क) मूल वेतन;

(ख) स्थानापन्न वेतन;

(ग) विशेष वेतन;

(घ) वैयक्तिक वेतन;

(ङ) विशेष वैयक्तिक वेतन;

(च) बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वेतन के रूप में वर्गीकृत कोई अन्य परिलब्धियां;

(10) "पेंशनभोगी" से अभिप्राय इन विनियमों के अधीन पेंशन के लिए पात्र कर्मचारी से है;

(11) "अर्हता सेवा" से अभिप्रेय कार्य पर होने के समय की गई सेवा अथवा अन्यथा से है जिसको इन विनियमों के अधीन पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी ;

(12) "सेवा निवृत्ति" से अभिप्राय स्टाफ विनियम 26 और समझौते/ अधिनिर्णय के अन्तर्गत बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य अनुदेशों के अनुसरण में सेवा निवृत्ति से है;

(13) "स्टाफ विनियमावली" से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली 1948 से है।

अध्याय—II

प्रयोज्यता और पात्रता

3. प्रयोज्यता

ये विनियम निम्नलिखित को लागू होंगे ,—

(1) वे कर्मचारी जो दिनांक 01 नवम्बर 1990 को अथवा उसके पश्चात बैंक की सेवा में आते हैं।

(2) दिनांक 01 नवम्बर 1990 को बैंक में सेवारत कर्मचारी, उन कर्मचारियों को छोड़कर, जो बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन विनियमों के अधीन न रहने का विकल्प लिखित रूप में देते हैं।

(3) दिनांक 1 जनवरी 1986 को जो कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) सेवारत थे और जो दिनांक 01 नवम्बर 1990 से पहले सेवा निवृत्त हो गए हैं, बशर्ते कि वे इन विनियमों के अधीन रहने का विकल्प देते और इसके लिए निर्धारित अवधि के भीतर, भविष्य निधि पर बैंक के अंशदान की राशि को उस पर अर्जित ब्याज के साथ, उक्त राशि के आहरण की तारीख से उसके पुनः भुगतान की तारीख तक 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित लौटा देते हैं। विनियम 31 के अनुसार उन्हें पेंशन देय होगा।

4. पात्रता

पूर्णकालिक कर्मचारी और प्रति सप्ताह तेरह घंटों से अधिक अंशकालीन कार्य करने वाले अंश कालिक कर्मचारी को, सेवा-निवृत्ति के पश्चात, पेंशन लागू होगा बशर्ते कि उन्होंने न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो। सेवारत कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में न्यूनतम सेवा की अपेक्षा परिवार पेंशन का आहरण करने के लिए लागू नहीं होगी।

5. इन विनियमों को लागू करने के मामले में, भारत सरकार के सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स अथवा लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स अथवा सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स अथवा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना के तद्नुरूपी उप-बंधों को, यथास्थिति, जहां तक वे बैंक में सेवा के लिए अनुकूल ठहराए जा सकते है ध्यान में रखा जाए, किंतु ऐसे अपवादों और आशोधनों के अधीन जो बैंक समय-समय पर निर्धारित करे।

अध्याय—III

सामान्य शर्तें

6. भविष्य में अच्छे आचरण की शर्त पर पेंशन

(1) (क) पेंशन का प्रत्येक अनुदान और इन विनियमों के अधीन उसके जारी न रहने में, भविष्य में अच्छे आचरण को रखना एक अंतर्निहित शर्त होगी।

(ख) यदि पेंशनभोगी कर्मचारी किसी गंभीर अपराध अथवा भारी कदाचार के अपराध में दोषी पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में आदेश देकर, स्थायी रूप में अथवा किसी निर्धारित अवधि के लिए पेंशन अथवा उसके एक भाग को रोक सकते हैं अथवा वापस ले सकते हैं; बशर्ते कि जहां पर पेंशन का एक भाग रोक लिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता है, वहां पेंशनभोगी द्वारा आहरित की जाने वाली पेंशन की राशि पूर्णकालिक कर्मचारी के मामले में

रु० 375/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी और अंशकालिक कर्मचारी के मामले में उन पर लागू मजदूरी की दर के संदर्भ में उसकी समानुपातिक राशि होगी।

(2) जहां पर पेंशनभोगी विधि न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी पाया जाता है वहां इस प्रकार के अपराध के संबंध में न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस विनियम (1) के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(3) उप–विनियम (2) के अधीन न आने वाले मामले में, यदि उप विनियम (1) में उल्लिखित प्राधिकारी यह मानते हैं कि पेंशनभोगी प्रथम दृष्टया भारी कदाचार का दोषी है तब उप–विनियम (1) के अधीन आदेश पारित करने से पहले वे,

(क) पेंशनभोगी को उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई और किस आधार पर कार्रवाई की जानी है इसका उल्लेख करते हुए एक सूचना दे सकते हैं, और सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसी प्रकार की पंद्रह दिनों से अनधिक और अवधि के लिए इस प्रकार के अभ्यावेदन को, जो वह प्रस्ताव के विरुद्ध देना चाहता है, अनुमत कर सकते हैं और

(ख) खंड (क) के अधीन पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखें।

(4) जहां उप–विनियम (1) के अन्तर्गत आदेश पारित करने के लिए गवर्नर सक्षम प्राधिकारी हैं वहां आदेश पारित करने से पहले केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श किया जाएगा।

(5) गवर्नर के अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा उप विनियम (1) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील गवर्नर को की जाएगी और गवर्नर केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से अपील के संदर्भ में उचित आदेश पारित करेंगे।

7. पेंशन रोक रखने अथवा वापस लेने का बैंक का अधिकार

सक्षम प्राधिकारी स्थायी रूप से अथवा किसी निर्धारित अवधि के लिए पेंशन अथवा पेंशन का कुछ भाग रोक रख सकते हैं अथवा वापस ले सकते हैं और बैंक को हुई आर्थिक क्षति के लिए पेंशन के सम्पूर्ण अथवा आंशिक वसूली के लिए आदेश दे सकते हैं यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में पेंशनभोगी अपनी सेवा अवधि के दौरान जिसमें सेवा निवृत्ति के पश्चात पुनः नियोजन में की गई सेवा भी शामिल है, भारी कदाचार अथवा प्रमाद के लिए दोषी पाया जाता है; बशर्ते कि किसी अंतिम आदेश को पारित करने से पहले केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श लिया जाएगा।

बशर्ते कि कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही; उस समय प्रारंभ नहीं की गई थी जब कि कर्मचारी सेवा रत था; उन कारणों के संदर्भ में या उस मामले के लिए प्रारंभ नहीं की जा सकेगी जो इस प्रकार की कार्यवाही को प्रारंभ करने के 4 वर्ष पहले घटित हो चुके हों।

जहां सक्षम प्राधिकारी पेंशन में आर्थिक क्षति की वसूली का आदेश देते हैं कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक दर पर साधारणतया वसूली नहीं की जाएगी बशर्ते कि जहां पेंशन का एक भाग रोक लिया जाता है या वापस ले लिया जाता है, पेंशन भोगी द्वारा आहरित पेंशन की राशि पूर्णकालिक कर्मचारी के मामले में रु० 375/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी और अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, लागू मजदूरी की दर के संदर्भ में उसके समानुपातिक राशि होगी।

8. (i) जो कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर अथवा अन्यथा सेवा निवृत्त हो गया है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है या जहां विभागीय कार्यवाही अनिर्णीत है, वहां उस कर्मचारी को स्वीकार्य किए जा सकने वाले अधिकतम पेंशन के समकक्ष अन्तिम पेंशन अनुमत किया जाएगा, जो कि उक्त कार्यवाई की समाप्ति पर उसे स्वीकृत अंतिम सेवा निवृत्ति लाभों पर समायोजन की शर्त पर होगा; किंतु जहां अंतिम रूप में स्वीकृत पेंशन अन्तिम पेंशन से कम है या जहां पेंशन स्थायी रूप में अथवा एक विशिष्ट अवधि के लिए कम किया जाता है अथवा रोक लिया जाता है वहां वसूली नहीं की जाएगी।

(ii) ऐसे मामलों में इस प्रकार के कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही की समाप्ति होने तक उपदान नहीं दिया जाएगा। कार्यवाहों के निर्णय अथवा कर्मचारी से ली जाने वाली किन्हीं वसूलियों की शर्त पर कार्यवाही की समाप्ति पर उसे उपदान दिया जाएगा।

9. यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख के पहले प्रारंभ हुई है अथवा किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी की तारीख के बाद इस प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ की गई है, वह इस प्रकार की कार्यवाही का निर्णय होने तक की अवधि के दौरान, यथा-स्थिति, इन विनियमों के विनियम 8 के अन्तर्गत प्राधिकृत अपनी अन्तिम पेंशन के हिस्से को रूपांतरित करने के लिए पात्र नहीं होगा।

10. सेवा निवृत्ति पर वाणिज्यिक नौकरी

यदि कोई पेंशन भोगी, स्टाफ विनियमावली 37ए के अन्तर्गत बैंक की पूर्वानुमति के बिना वाणिज्यिक नौकरी करता है अथवा किसी वाणिज्यिक नौकरी के लिए उसको प्रदान की गई अनुमति की किसी शर्त को भंग करता है तो लिखित में आदेश के जरिए और उस अभिलेखित किए जाने वाले कारणों के लिए बैंक यह घोषित करने में सक्षम होगा कि वह, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए समग्र अथवा पेंशन के इस प्रकार के भाग के लिए हकदार नहीं होगा, बशर्ते कि कर्मचारी को ऐसे घोषणा पत्र के विरुद्ध कारण दर्शाने के अवसर दिए बिना आदेश नहीं दिया जाएगा।

खण्ड IV

अर्हता सेवा

11. अर्हता सेवा का प्रारंभ

इन विनियमों के परन्तुकों की शर्त पर, कर्मचारी की अर्हता सेवा उसके पद के प्रभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगी, जिस पर वह मूल रूप में अथवा स्थानापन्न अथवा अस्थाई क्षमता में नियुक्त किया जाता है, बशर्ते कि स्थानापन्न अथवा अस्थाई सेवा उक्त अथवा दूसरे पद पर मूल सेवा नियुक्ति से बिना किसी बाधा के की जाती है ।

12. एक वर्ष से कम सेवा की खंडित अवधि

यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि में एक वर्ष से कम सेवा की खंडित अवधि सम्मिलित है तो यदि उक्त खंडित अवधि छः महीनों से अधिक है तो उसे एक वर्ष के रूप में माना जाएगा और यदि उक्त खंडित अवधि छः महीनों से कम है तो उसे ध्यान में नहीं लिया जाएगा ।

13. परिवीक्षाधीन सेवा की गणना

किसी पद पर परिवीक्षाधीन सेवा, यदि उसी पद अथवा दूसरे पद पर स्थायीकरण के जरिए की जाती है तो अर्हक होगी ।

14. सैनिक सेवा की गणना

किसी कर्मचारी ने बैंक में नियुक्ति के पूर्व सैनिक सेवा की है तो वह निम्नलिखित के लिए अपना विकल्प दे सकता है :

(क) सैनिक पेंशन आहरित करना चालू रखें, ऐसे मामले में उसकी भूतपूर्व सैनिक सेवा अर्हता सेवा के रूप में नहीं गिनी जाएगी, अथवा

(ख) अपना पेंनश आहरित करना समाप्त करें और पुनः नियुक्ति पर पहले ही आहरित पेंशन और सैनिक पेंशन के भाग के रूपांतरण के लिए प्राप्त मूल्य वापस करें और सैनिक सेवा की गणना अर्हता सेवा के रूप में करें बशर्ते कि (i) बैंक में नियुक्ति की तारीख के पहले आहरित पेंशन वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी और (ii) पेंशन का अंश जिस पर उसके वेतन निर्धारण के लिए ध्यान नहीं दिया गया था, उसे वापस करना होगा ।

15. छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधि की गणना

सेवा के दौरान सभी छुट्टी जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है और चिकित्सा प्रमाणपत्र पर प्रदान की गई सभी असाधारण छुट्टी को यदि किसी अन्य रूप में निर्णय नहीं लिया गया है, तो, अर्हता सेवा के रूप में गिना जाएगा । बशर्ते कि चिकित्सा प्रमाण पर प्रदान की गई असाधारण छुट्टी से अन्य असाधारण छुट्टी के मामले में, सक्षम प्राधिकारी, इस प्रकार की छुट्टी प्रदान करते समय, उस छुट्टी की अवधि को अर्हता सेवा के रूप में गिनने के लिए अनुमति दें यदि किसी कर्मचारी को इस प्रकार की छुट्टी निम्न कारणों से प्रदान की गई हो :

(i) नागरिक उपद्रव के कारण कार्य पर उपस्थिति अर्थात् पुनः उपस्थित होने में अपनी असमर्थता के कारण, अथवा

(ii) बैंक द्वारा अनुमोदित उच्चतर अध्ययन करने के लिए ।

16. प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि

किसी कर्मचारी की नियुक्ति के तुरन्त पहले बैंक में प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि को अर्हता सेवा के रूप में गिना जाएगा ।

17. निलंबन की अवधि

जांच का निर्णय होने तक किसी कर्मचारी की निलंबन की अवधि अर्हता सेवा के लिए गिनी जाएगी जहां इस प्रकार की जांच की समाप्ति पर उसे पूर्णतः निर्दोष ठहराया जाता है और अन्य मामलों में निलंबन की अवधि नहीं गिनी जाएगी बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी स्पष्ट रूप से यह आदेश पारित नहीं करते हैं कि उसे अर्हता सेवा के रूप में गिना जाए ।

18. पद त्याग अथवा पदच्युति अथवा सेवा समाप्ति पर सेवा का समपहरण

किसी कर्मचारी का सेवा से पद त्याग अथवा पदच्युति अथवा सेवा समाप्ति, उसके समग्र पूर्व सेवा के समपहरण के लिए आवश्यक होगी और इसके परिणामस्वरूप वह पेंशन के भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा ।

19. विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि

युनाइटेड नेशन्स अथवा किसी अन्य विदेशी निकाय अथवा संगठन में विदेश सेवा पर प्रतिनियुक्ति कोई कर्मचारी अपने विकल्प पर—

(i) अपनी विदेश सेवा के संबंध में पेंशन अंशदान का भुगतान करे और उक्त सेवा को इन विनियमों के अन्तर्गत अर्हता सेवा के रूप में माने, अथवा

(ii) विदेशी नियोक्ता के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त करे और उक्त सेवा को इन विनियमों के अन्तर्गत पेंशन के लिए अर्हता सेवा के रूप में न माने बशर्ते कि जहां कोई कर्मचारी खण्ड (ii) के लिए विकल्प देता है, तो कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया पेंशन अंशदान यदि कोई हो तो, कर्मचारी को वापस लौटाया जाए ।

20. भारत में किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि

किसी कर्मचारी की भारत में दूसरे संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि, अर्हता सेवा के रूप में मानी जाएगी बशर्ते कि संगठन अथवा कर्मचारी पेंशनरी अंशदान का भुगतान बैंक को करता हो ।

21. भारतीय रिजर्व बैंक में प्रतिनियुक्ति की अवधि

किसी अन्य संगठन से रिजर्व बैंक में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी जिसे बाद में रिजर्व बैंक की सेवा में अंतर्वेशित किया गया है, की

पहले की सेवा को तब अर्हता सेवा के रूप में गिना जाए यदि कर्मचारी अपने पहले के नियोक्ता से उसके द्वारा आहरित सेवा-निवृत्ति लाभ की राशि, भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष छः प्रतिशत साधारण ब्याज के सहित बैंक को अदा करता है ।

22. सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी

सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी को अर्हता सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा और सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान पेंशन देय नहीं होगा । कर्मचारी नीचे लिखे अनुसार चयन कर सकेंगे:

(क) एक तो सेवा निवृत्ति पूर्व संचित छुट्टी की समग्र अवधि का नकदीकरण करें और अधिवर्षिता की तारीख के बाद पहले महीने से पेंशन आहरित करें (यदि सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी उस महीने के प्रारंभ से शुरु होती है), अथवा

(ख) पूर्ण किए हुए महीनों के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी ले लें और एक महिने से कम की सेवा निवृत्ति पूर्व खंडित अवधि का नकदीकरण करें ताकि अनुवर्ती महीने की पहली तारीख से पेंशन आहरित कर सकें ।

23. विशेष परिस्थितियों में अर्हता सेवा में जोड़

(1) बैंक के विवेकानुसार कर्मचारी अधिवर्षिता पेंशन (किंतु पेंशन के किसी अन्य श्रेणी के लिए नहीं) के लिए अपनी अर्हता सेवा में जोड़ के लिए अपनी सेवा की अवधि के एक चतुर्थांश से अनधिक वास्तविक अवधि अथवा ऐसी वास्तविक अवधि जिसके अनुसार भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्षों से अधिक हो अथवा पांच वर्षों की अवधि, जो भी कम हो, के लिए पात्र होगा यदि सेवा अथवा पद जिसमें कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है उसमें—

(क) स्नातकोत्तर अनुसंधान, अथवा विशेषज्ञ अर्हता अथवा वैज्ञानिक, तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुभव आवश्यक हो, और

(ख) सामान्यतया: पच्चीस वर्षों से अधिक वर्ष की आयु के उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता है ।

बशर्ते कि यह रियायत कर्मचारी को तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक बैंक की सेवा छोड़ते समय उसकी अपनी वास्तविक अर्हता सेवा दस वर्षों से कम न हो ।

स्पष्टीकरण

यह रियायत केवल आयु में छूट के आधार पर पच्चीस वर्षों से अधिक आयु में बैंक में भर्ती किए गए कर्मचारी को उपलब्ध नहीं होगी ।

(2) ऐसे कर्मचारी को, जिसे पैंतीस वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु में भर्ती किया जाता है, वह अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर, पेंशन के लिए अपने अधिकार को छोड़ने का चयन कर सकता है जिस पर वह अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए पात्र होगा ।

(3) उप विनियम (2) में उल्लिखित एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा ।

अध्याय V

पेंशन की श्रेणियां और उसके अनुदान को विनियमित करने की शर्तें

24. अधिवर्षिता पेंशन

अधिवर्षिता पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा जो अधिवर्षिता की आयु में सेवा निवृत्त होता है । बशर्ते कि पेंशन सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान देय नहीं होगा ।

25. असामयिक सेवा निवृत्ति पेंशन

असामयिक सेवा निवृत्ति पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा जो सेवा निवृत्त होता है अथवा स्टाफ विनियमों के अनुसरण में अधिवर्षिता की आयु के पहले स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होता है बशर्ते कि पेंशन सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान देय नहीं होगा ।

26. अवैध पेंशन

(1) यदि कोई कर्मचारी किसी शारीरिक अथवा मानसिक कमजोरी के कारण, जिससे वह सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ बन गया है, सेवा निवृत्त होता है तो उसे अवैध पेंशन प्रदान किया जाए ।

(2) जो कर्मचारी अवैध पेंशन के लिए आवेदन करता है उसे बैंक के चिकित्सा अधिकारी से असमर्थता का एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(3) जहां बैंक के चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी को जो काम वह करता है उससे कम परिश्रम के स्वरूप की और सेवा के लिए उपयुक्त घोषित करता है, उसे निम्नतर पद पर, बशर्ते कि वह उस पद पर नियुक्त किए जाने के लिए इच्छुक हो, नियुक्त किया जाएगा और यदि उसे निम्नतर पद पर नियुक्त करने के कोई साधन नहीं है तो उसे अवैध पेंशन दिया जाए ।

27. अनुकम्पा भत्ता

(1) बैंक का कोई कर्मचारी जिसे सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा जिसकी सेवा समाप्त की जाती है वह अपनी पेंशन से वंचित होगा ।

बशर्ते कि सेवा से पदच्युत अथवा सेवा समाप्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी यदि मामला विशेष महत्व का हो तो, पेंशन के दो-तिहाई से अनधिक अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत करे जो उसे अन्यथा रूप में स्वीकार्य होता ।

(2) उप विनियम (1) के परन्तुक के अन्तर्गत स्वीकृत अनुकम्पा भत्ता पूर्ण कालिक कर्मचारी के मामले में रु० 375/- प्रति माह की राशि से कम नहीं होगा और अंश कालिक कर्मचारी के मामले में लागू मजदूरी की दर के सम्बन्ध में उसके समानुपातिक होगा ।

28. पेंशन की दर

मूल पेंशन की दर औसत परिलब्धियों का पचास प्रतिशत होगी बशर्ते कि वह पूर्ण कालिक कर्मचारी के मामले में न्यूनतम रु० 375/- प्रति माह और अंश कालिक कर्मचारी के

मामले में स्वीकार्य मजदूरी की दर के सम्बन्ध में उसकी समानुपातिक राशि होगी । तैंतीस वर्षों की सेवा पूर्ण पेंशन के लिए अर्हत होगी । किसी कर्मचारी के मामले में जिसकी सेवा 33 वर्षों से कम होती है, पेंशन, अर्हता सेवा के वर्षों की संख्या के लिए समानुपातिक आधार पर देय होगी ।

29. पेंशन पर मंहगाई राहत

मंहगाई राहत बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर प्रदान की जायेगी । मंहगाई राहत रूपांतरण के बाद भी पूर्ण मूल पेंशन पर अनुमत की जाएगी ।

30. रूपांतरण

पेंशनभोगी उसको स्वीकार्य पेंशन के एकतिहाई के अधिकतम तक रूपांतरित कर सकता है । इस प्रकार का पेंशनभोगी पेंशन के दो-तिहाई हिस्से के लिए हकदार होगा । पेंशन का रुपांतरित हिस्सा, रूपांतरण की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के पश्चात पुनर्नियोज्य होगा । रुपांतरण की पद्धति इसके साथ संलग्न तालिका के अनुसार होगी । यदि रूपांतरण सेवा निवृत्ति की तारीख के एक वर्ष के बाद मांगा जाता है तो वह बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच होने पर ही प्रदान किया जाएगा ।

31. ऐसे कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान जो 1 जनवरी 1986 और 31 अक्तूबर, 1990 के बीच सेवा निवृत्त हुए हैं ।

जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 को अथवा उसके बाद और 1 नवम्बर, 1990 के पहले बैंक की सेवा से सेवा निवृत्त हुए हैं वे विनियम 22 के अधीन 1 नवम्बर, 1990 अथवा सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी की समाप्ति के बाद से पेंशन के लिए पात्र होंगे। पेंशन का भुगतान, बैंक से उन्हें प्राप्त भविष्य निधि पर बैंक के अंशदान की ब्याज सहित लौटाने की शर्त पर होगा जोकि आहरण की तारीख से पुनः भुगतान की तारीख तक छः प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज के साथ होगा । ऐसे कर्मचारियों की विधिवत चिकित्सा जांच के बाद, 1 नवम्बर, 1990 से अपनी पेंशन के रुपांतरण के लिए भी अनुमत किया जाएगा ।

अध्याय VI

32. परिवार पेंशन

(1) उप विनियम (3) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब कर्मचारी निम्न स्थितियों में मरता है :—

(क) लगातार सेवा के एक वर्ष को पूर्ण करने के बाद, अथवा,

(ख) लगातार सेवा के एक वर्ष के पूर्ण होने के पहले बशर्ते कि संबंधित मृत कर्मचारी की सेवा में अथवा पद पर नियुक्ति के तुरन्त पहले बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी जांच की गयी थी और नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था, अथवा

(ग) सेवा से सेवा निवृत्त होने के बाद और मृत्यु की तारीख को वह पेंशन अथवा अनुकम्पा भत्ते की प्राप्ति की स्थिति में था,

तो मृत कर्मचारी का परिवार, पेंशन के लिए हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण :—इस नियम में जहां कहीं, "लगातार सेवा का एक वर्ष" आता है वहां उसका अर्थ खण्ड (कक) में यथा परिभाषित "लगातार सेवा के एक वर्ष से कम" होगा ।

(2) परिवार पेंशन की राशि मासिक दरों पर निर्धारित की जाएगी और पूर्ण रुपयों में दी जाएगी और जहां परिवार पेंशन में एक रुपये का अंश होगा वहां उसको अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा,

बशर्ते कि परिवार पेंशन के किसी भी मामले में अधिकतम से अधिक की अनुमत नहीं किया जाएगा ।

(3) जहां कर्मचारी मृत्यु के समय लगातार सेवा के 7 वर्ष पूर्ण करता है, वहां परिवार पेंशन का भुगतान, अंत में आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा परिवार पेंशन की सामान्य दर की दुगुनी राशि, जो भी कम हो, तक किया जाए, बशर्ते कि कर्मचारी कामगारों के क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत नहीं आता था । यदि कर्मचारी कामगारों के क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत आता है तो परिवार पेंशन, अंत में आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा परिवार पेंशन की सामान्य दर की 1½ गुनी राशि तक, जो भी कम हो, होना चाहिए । इस उच्चतर दर पर पेंशन 7 वर्षों की अवधि के लिए अथवा मृत कर्मचारी, यदि वे सेवा में होते तो जब वे 65 वर्षों की आयु पूरी करते तब तक के लिए, जो भी कम हो, देय है ।

(4) सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु के मामले में, परिवार पेंशन, परिवार पेंशन की सामान्य दर की दुगुनी राशि तक या अंतिम रूप में आहरित वेतन के 50 प्रतिशत की दर पर, जो भी कम हो, और मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अथवा मृत कर्मचारी जब 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, जो भी कम हो, देय होगा, बशर्ते कि उपरोक्त के अनुसार बढ़ायी गयी परिवार पेंशन की राशि, सेवा निवृत्ति पर स्वीकार्य सामान्य पेंशन से अधिक नहीं होगी ।

(5) परिवार पेंशन की सामान्य दर निम्नानुसार होगी :

वेतन सीमा	मृत पात्र परिवार पेंशन की दर
रु० 1500/- तक	वेतन के 30 प्रतिशत, रु० 375/- प्र० मा० के न्यूनतम की शर्त पर ।
रु० 1501/- से रु० 3000/-	वेतन के 20 प्रतिशत, रु० 450/- प्र० मा० के न्यूनतम की शर्त पर ।
रु० 3000/- से अधिक	वेतन के 15 प्रतिशत, रु० 600/- प्र० मा० के न्यूनतम और रु० 1250/- प्र० मा० के अधिकतम की शर्त पर ।

स्पष्टीकरण

अंश कालिक कर्मचारी के मामले में परिवार पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम राशि उन्हें लागू मजदूरी की दर के समानुपातिक होगी ।

(6) अवधि, जिसके लिए परिवार पेंशन देय है निम्नानुसार होगी :—

(क) विधवा अथवा विधुर के मामले में, मृत्यु अथवा पुनः विवाह की तारीख तक, जो भी पहले होता है,

(ख) पुत्र के मामले में, वह अर्जन करना प्रारम्भ करता है अथवा वह पच्चीस वर्ष पूर्ण करता है, जो भी पहले हो, और

(ग) अविवाहित पुत्री के मामले में, वह अर्जन करान प्रारम्भ करती है अथवा वह पच्चीस वर्ष पूर्ण करती है अथवा उसका विवाह होता है, जो भी सबसे पहले हो ।

बशर्ते कि यदि किसी कर्मचारी का पुत्र अथवा पुत्री मानसिक विकार अथवा अक्षमता से पीड़ित है अथवा शारीरिक रूप से विकलांग अथवा अक्षम है जिसके कारण वह जीवन-निर्वाह अर्जित करने के लिए असमर्थ है, तो ऐसे पुत्र अथवा पुत्री के जीवन यापन के लिए परिवार पेंशन बैंक द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार देय होगा ।

(7) (क) परिवार पेंशन एक ही समय में परिवार के एक से अधिक सदस्य को देय नहीं होगा ।

(ख) यदि मृत कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी अपने बाद विधवा अथवा विधुर को छोड़ता है तो पात्र बच्चे को छोड़कर, विधवा अथवा विधुर को परिवार पेंशन देय होगा ।

(ग) यदि पुत्र और अविवाहित पुत्रियां जीवित हैं तो अविवाहित पुत्रियां परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगी, जब तक कि पुत्रों के पच्चीस वर्ष पूर्ण नहीं हो जाते अथवा वे अर्जन प्रारम्भ नहीं कर लेते और इस प्रकार वे परिवार पेंशन प्राप्त करने के अपात्र नहीं हो जाते ।

(8) जहां मृत बैंक कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी एक से अधिक बच्चों को छोड़ता है, वहां सबसे बड़ा पात्र बच्चा, इस विनियम के उप-विनियम (6) के खंड (ख) अथवा खंड (ग), यथास्थिति, में उल्लिखित अवधि के लिए परिवार पेंशन के लिए हकदार होगा और उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अगला बच्चा परिवार पेंशन प्रदान किए जाने के लिए पात्र बनेगा ।

(9) जहां परिवार पेंशन इस विनियम के अंतर्गत किसी नाबालिक को प्रदान किया जाता है, वहां उक्त पेंशन नाबालिग की ओर से उसके अभिभावक को देय होगा ।

(10) यदि पत्नी और पति दोनों ही बैंक के कर्मचारी हैं और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन हैं और उनमें से एक सेवा में रहते हुए अथवा सेवा निवृत्ति के बाद मर जाता है, तो मृत के मामले में परिवार पेंशन उत्तरजीवी पति अथवा पत्नी को देय होगा और पति अथवा पत्नी की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी बच्चा अथवा बच्चों को, बैंक द्वारा यथा निर्धारित सीमाओं की शर्त पर, मृत माता-पिता के संबंध में दो परिवार पेंशन प्रदान किए जाएंगे ।

रूपांतरण तालिका

प्रति वर्ष रु० 1 की पेंशन के लिए रूपांतरण मूल्य

अगले जन्म-दिन पर आयु	परचेज वर्षों की संख्या के अनुसार सूचित रूपांतरण मूल्य	अगले जन्मदिन पर आयु	परचेज वर्षों की संख्या के अनुसार सूचित रूपांतरण मूल्य	अगले जन्म-दिन पर आयु	परचेज वर्षों की संख्या के अनुसार सूचित रूपांतरण मूल्य
1	2	3	4	5	6
17	19.28	40	15.87	63	9.15
18	19.20	41	15.64	64	8.82
19	19.11	42	15.40	65	8.50
20	19.01	43	15.15	66	8.17
21	18.91	44	14.90	67	7.85
22	18.81	45	14.64	68	7.53
23	18.70	46	14.37	69	7.22
24	18.59	47	14.10	70	6.91
25	18.47	48	13.82	71	6.60
26	18.34	49	13.54	72	6.30
27	18.21	50	13.25	73	6.01
28	18.07	51	12.95	74	5.72
29	17.93	52	12.66	75	5.44
30	17.78	53	12.35	76	5.17
31	17.62	54	12.05	77	4.90
32	17.46	55	11.73	78	4.65
33	17.29	56	11.42	79	4.40
34	17.11	57	11.10	80	4.17
35	16.92	58	10.78	81	3.94
36	16.72	59	10.46	82	3.72
37	16.52	60	10.13	83	3.52
38	16.31	61	9.81	84	3.32
39	16.09	62	9.48	85	3.13

टिप्पणी : उपर्युक्त तालिका, पेंशनभोगी के अगले जन्मदिन पर उसकी आयु के संदर्भ में परचेज वर्षों की संख्या के अनुसार सूचित पेंशन का रूपांतरण मूल्य दर्शाता है। 58 वर्षों की आयु में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में रूपांतरित मूल्य, परचेज वर्ष 10.46 है और अतः यदि वह सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के भीतर अपनी पेंशन से रु० 100/– रूपांतरित करता है तो उसे देय एकमुश्त राशि रु० 100×10.46×12 = 12,552 होगी ।

भारतीय स्टेट बैंक

बम्बई, दिनांक 8 जून 1991

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 36 वीं वार्षिक महासभा चौधिआ मेमोरियल हाल' 33, प्रशान्त, राजमहल विलास एक्सटेंशन, बंगलूर-560 080 में गुरुवार दिनांक 25 जुलाई 1991 को अपराह्न 4.00 बजे निम्नलिखित कार्य हेतु होगी :—

31 मार्च 1991 तक की केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तथा तुलनपत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना ।

एम. एन. गोइपोरिया
अध्यक्ष

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1991

संख्या ए 12/11/3/78—स्था०—1, संग्रह—2—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 17 की उप धारा (2) और धारा 97 की उपधारा (2) तथा उपधारा 2 (क) के खंड (21) के साथ पठित धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम इसके द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रुप "ग" तथा "घ" (पैरा चिकित्सा) पद भर्ती विनियम, 1977 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

1. (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रुप "ग" तथा "घ" (पैरा चिकित्सा) पद भर्ती (संशोधन) विनियम, 1991 कहे जाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रुप "ग" तथा "घ" (पैरा चिकित्सा) पद भर्ती विनियम, 1977 की अनुसूची में :—

क्रम संख्या 62 के बाद तथा इससे संबंधित इन्दराज में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा इन्दराज अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
63 वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक	1*	ग्रुप "ग" अराजपत्रित (गैर-लिपिक वर्गीय)	1640-60-2600-द० रो०-75-2900 रुपए

*कार्य के आधार पर घट-बढ़ सकती है ।

क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 20 के अधीन स्वीकार्य सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ पद पर लागू है ।	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
5	6	7	8
गैर-चयन	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की छूट	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिक चिकित्सा में डिप्लोमा (2) किसी ख्याति प्राप्त अस्पताल/संस्थान में भौतिक चिकित्सा में लगभग 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति/प्रति नियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा ।
9	10	11	12
नहीं	दो वर्ष (केवल सीधी भर्ती के मामले में)	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : क० रा० बीमा अस्पतालों में 1400-2300 रु० के वेतन-मान से भौतिक चिकित्सक के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा करने पर

विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में उसका गठन	भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की परिस्थितियां
13	14
विभागीय पदोन्नति समिति (1) निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली—अध्यक्ष (2) उप चिकित्सा अधीक्षक राममनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली—सदस्य (3) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में विकलांग विभाग में विशेषज्ञ —सदस्य	लागू नहीं

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र सं० 27 दिनांक 2.7.1977 के भाग 3 अनुभाग 4 अधिसूचना संख्या 1 (1)-3/72 स्था०-1 (संग्रह-2) दिनांक 15.6.1987 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा इससे पूर्व इनमें निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था :—

1. सं० ए० 12(11)-3/76-स्था०-1, दिनांक 29-7-78 – राजपत्र संख्या-33 दिनांक 19-8-78 के भाग-3 अनुभाग-4 में प्रकाशित ।

2. संख्या ए० 12 (11)-6/82-स्था०-1(क) दिनांक 11-3-87-राजपत्र संख्या-14 दिनांक 4-4-87 के भाग-3 अनुभाग-4 में प्रकाशित ।

3. संख्या-1 (1)-3/72 स्था०-1(क) संग्रह 4 दिनांक 17-7-87-राजपत्र सं०-33 दिनांक 15-8-87 के भाग 3 अनुभाग 4 में प्रकाशित ।

3. अयोग्यताएं :—

ऐसा कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि निगम के महानिदेशक की यह सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमेय है तथा ऐसा करने के दूसरे आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के लागू होने से छूट दे सकते हैं ।

4. ढील देने की शक्ति

जहां निगम के महानिदेशक की यह राय है कि ऐसा करना अनिवार्य है या कालोचित है तो वह अध्यक्ष कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्व अनुमोदन के बाद तथा उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं ।

5. अपवाद :

इन विनियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में ढील तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दूसरे विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

श्रीमती कुसुम प्रसाद
महानिदेशक

नई दिल्ली दिनांक 21 मई 1991

सं० यू० 16/53/90-चि०-2 (आंध्र प्रदेश) :—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या : 1024 (जी) दिनांक 23 मई, 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा सानथनगर के डा० वी० आर० देशपांडे को विद्यमान मानकों के अनुसार वेष पारिश्रमिक पर दिनांक 16-5-91 से 15-5-1992 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, इनमें से जो पहले हो सानथनगर केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य-परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

दिनांक 4 जून 1991

सं० यू-16/53/90-चि०-2 (पश्चिमी बंगाल)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या : 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर, मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टरों को कलकत्ता क्षेत्र [क्षेत्रों का आवंटन उप-चिकित्सा आयुक्त (पूर्वी जोन) द्वारा किया जाएगा] के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य-परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए उनके निम्नलिखित अवधि या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक की अदायगी पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

1. डॉ० एन० एम० मुखर्जी 16-6-91 से 15-6-92
2. ले० कर्नल (डॉ०) एस० के० दास 1-7-91 से 22-3-92
3. डॉ० एस० के० मुखर्जी 21-7-91 से 20-7-92

डॉ० कृष्ण मोहन भक्सेना
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 1991

सं० एन. 15/13/7/91/यो० एवं० वि०—(2)] कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-5-91 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे ।

अर्थात

"जिला एवं तालुक हासन की होबली कसाबा के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्राम चिक्कामण्डीगना-दिल्ली" ।

दिनांक 5 जून 1991

सं० एन-12/13/2/91-यो० एवं वि०:—यथा संशोधित कर्मचरी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 में निम्नलिखित मसौदा संशोधत करना चाहता है जिन्हें उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित रूप में उससे प्रभावित होने वाले सभी सम्भावित व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि मसौदा संशोधनों पर 30 जून, 1991 को या उसके बाद विचार किया जाएगा ।

उक्त मसौदा संशोधनों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर उक्त निगम द्वारा विचार किया जाएगा ।

कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के मसौदा संशोधन

कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 31-ख के बाद निम्नलिखित नया विनियम 31-ग अन्तः स्थापित किया जाएगा ।

31-ग समय पर संदाय पर नहीं किए गए देय अभिदाय अथवा किसी अन्य राशि पर हर्जाना

विनियम 31 के अधीन निर्धारित अवधि के अन्दर अभिदाय अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन देय किसी अन्य राशि का संदाय नहीं करने वाला नियोजक निम्न अनुसार हर्जाने का संदाय करने के लिए बाध्य है:—

विलम्ब की अवधि	%वार्षिक की दर से हर्जाने की दर
1	2	3
(1) 2 मास तक	5
(2) 2 मास और अधिक परन्तु 4 मास के कम	10
(3) 4 मास और अधिक परन्तु 6 मास से कम	15
(4) छह मास और अधिक	25

परन्तु निगम ऐसे किसी कारखाने अथवा स्थापना के संबंध में जिसे रुग्ण औद्योगिक कंपनी के रूप में छोषित किया गया है और जिसके संबंध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुर्नवास योजना स्वीकृत की गई है :—

(क) उपक्रम (मों) के कामगार सहकारी में हस्तान्तरण सहित प्रबंध में परिवर्तन के मामले में अथवा रुग्ण औद्योगिक कंपनी का किसी स्वस्थ कंपनी के साथ विलयन अथवा समामेलन के सामने में उदग्रहण अथवा उदग्रहणीय हर्जाने को पूर्णतः माफ कर सकता है;

(ख) अन्य मामलों में, गुणवगुण के आधार पर उदग्रहण अथवा उदग्रहणीय हर्जाने का 50 प्रतिशत तक माफ कर सकता है;

(ग) अनि विशिष्ट मामलों मे उदग्रहण अथवा उदग्रणीय हर्जाने को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से माफ कर सकता है ।

एस० सी० जुनेजा
निदेशक (यो० तथा वि०)

श्रम मंत्रालय

(केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जून 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/862—जहां मैसर्स दी महेन्द्रा मिल्स लि. (जी.जे./353) कैलाल (जारथ गुजरात) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस-35014/228/86-एस. एस.2 दिनांक 2-9-86 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और अवधि

के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 3-12-89 से 2-12-92 तक लागू होगा। जिसमें यह तिथि 2-12-92 भी शामिल है।

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/868—जहां मैसर्स श्री नरसिंहा टेक्सटाइल्स (प्रा.) लि., कन्नाम्पलायम, सूलूर (पी. ओ.) कोयम्बटूर-641402 (टी. एन./1045) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम को अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या 2/1959/डीएल आई/एक्जाम/89/पार्ट 1 दिनांक 7-11-90 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 1-3-90 से 28-2-91 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 28-2-91 भी शामिल है।

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

(सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1)/874—जहां मैसर्स विशाखा वाएर रोप्स लिमिटेड, डोर नं. 47-11-21, द्वारका नगर, विशाखापटनम (ए. पी./13455) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची--में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विशाखापटनम ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-1-90 से 31-12-90 तक) ।

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/880—जहां मैसर्स भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई 49000/(म. प्र./530) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप धारा 2(ख) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे है, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे उसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या : एस-35014(198) 85-एम. एस. 2/तिथि 8-11-85 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना के नियमित कामगार को और अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 8-11-88 से 28-2-90 तक लागू होगा। जिसमें यह तिथि 28-2-90 भी शामिल है।

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बताये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समन्वित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/886 पोस्ट बाक्स नं. 719 जहां मैसर्स लक्ष्मनपाल नेशनल लि. मेकर पुरा, जी.आई.डी.सी. बडौदा-390010 (जी. जे/7342) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बडौदा ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 1-3-88 से 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बताये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

स. एफ पी-1(132) 91/858—जहां मैसर्स नेशनल मिनरल डिवलपमेन्ट कारपोरेशन लि. मसब टैंक हैदराबाद-500028 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 (1-सी) के अन्तर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 से छूट प्रदान करने के लिए अपने एक कर्मचारी श्री वी. राव गोपालन कोड नं. ए. पी. 3676/1261 के सम्बन्ध में आवेदन भेजा है।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि भारत सरकार पेंशन नियम (सी.सी.एस. पेंशन नियम) के अन्तर्गत परिवार पेंशन के रूप में लाभ जो कि उक्त स्थापना के इस कर्मचारी पर लागू है, कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ से अधिक अनुकूल है ।

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1-सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ब. ना. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त स्थापना के कर्मचारी, जो कि उक्त स्थापना में आने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की नौकरी में था, तथा सी. सी. एस. पेंशन नियमों द्वारा शासित था, को निम्नलिखित शर्तों पर अधिसूचना के जारी होने की तिथि से या नौकरी की अन्तिम तिथि से उन कर्मचारियों के संबंध में जो सरकार के 22-1-90 के आदेश के अनुसरण में 22-1-90 से 21-7-90 के बीच विकल्प देने के बाद सेवा निवृत्त हुए

को कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के सभी उपबन्धों को लागू करने से छूट प्रदान करता हूं।

1. यह कर्मचारी छूट की तिथि से कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत किसी लाभ का पात्र नहीं होगा।

2. कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

3 उक्त प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित नियोक्ता संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जो रिटर्न भेजेगा, वे लेखे तैयार करेगा और निरीक्षण करने की वे सुविधाएं देगा जिसे समय-समय पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निदेश करेगा।

दिनांक 4 जून 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/892—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध-बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-।। में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गुजरात ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

क्षेत्र—गुजरात

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाईल सं०
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स ऐटिक इन्डस्ट्रीज लि० रजिस्टर्ड ऑफिस, हैड ऑफिस एण्ड फैक्टरी, पी० ओ० अतुल-396020 डिस्ट्रिक-बलसाद, गुजरात	जी० जे०/1058	1-1-88 से 31-12-90	2/3433/91-डी०एल०आई०
2.	मैसर्स एलाईसब्रीज को० ओ० बैंक लि०, अजन्ता कामर्शियल सेन्टर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014	जी० जे०/4865	1-6-87 से 31-5-90	2/3582/91-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स एक्सल साईन प्रा० लि० एक्सल एस्टेट, पी० बी० नं० 18, बलसाद-396001	जी० जे०/9552	1-3-88 28-2-91	2/3583/91-डी० एल० आई०
4.	मैसर्स रंग सर्जन कैमिकल्स, सी-1/बी०/408, जी० आई० डी० सी० एस्ट्रेट अकलेश्वर-393002	जी० जे०/9847	1-3-89 से 28-2-92	2-3584/91-डी० एल० आई०
5.	मैसर्स दा सहयोग को० पो० बैंक लि०, आयोजन नगर, अम्बावाडी, अहमदाबाद	जी० जे०/11943	1-9-87 से 31-8-90	2/3581/91-डी० एल० आई०

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्यय का अंशदान नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

STATE BANK OF INDIA

Bombay, the 8th June 1991

NOTICE

The Thirty-Sixth Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of India will be held at "Chowdiah Memorial Hall" 33, Prashanth, Rajmahal Vilas Extension, Bangalore-560 080, on Thursday, the 25th July, 1991 at 4.00 p.m. for the transaction of the following business:

to receive the Central Board's Report, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made up to the 31st March, 1991 and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

M. N. GOIPORIA
Chairman

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 3rd June 1991

No. A-12/11/../73-Estt.I Col II.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section 2 and sub-section (2A) of the said section and sub section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations to amend the Employees' State Insurance Corporation Group 'C' and 'D' (para-medical) posts Recruitment Regulations, 1977 namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation Group 'C' and 'D' (para-medical) posts Recruitment (amendment) Regulations, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the Employees' State Insurance Corporation Group 'C' and 'D' (para-medical) posts Recruitment Regulations, 1977:—

after serial number 62 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:—

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
63 Senior Phylotherapist	*1 *Subject to Variation dependent on work load.	Group—'C' Non-Gazetted (Non-ministerial)	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900

Whether selection post or non-selection posts.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	6	7	8
Non-selection	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable upto 5 years in the case of Govt. servants and employees of the ESI Corporation	ESSENTIAL : (i) Diploma in Physiotherapy from a recognised Institute. (ii) About 3 years' practical experience in physiotherapx in a Hospital/Institute of repute..

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. bx promotion/ deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion deputation/transfer grades from which promotion/ deputation/transfer to be made.
9	10	11	12
No	Two years (in the case of direct recruitment only).	by promotion failing which by direct recruitment.	PROMOTION : From Physiotherapist working in ESI Hospitals with 5 years' regular service in the grade of Rs. 1400—2300.

If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
13	14
DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (1) Director (Medical) Delhi . . . Chairman	Not Applicable.

13		14
(2) Dy. Medical Supdt., Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi.	Member	Not Applicable
(3) Specialist in Orthopaedic in ESI Hospital	Member	

NOTE :—The principal regulations were published vide Notification No. 1(1)—3/72-Estt. I (Vol. II), dated 15-6-87 in Part-III, Section-4 of the Gazette of India No. 27, dated 2-7-1977 and it was previously amended vide notification :—

1. No. A-12(11)-3/76-Estt. I, dated 29-7-78 published in Part-III, Section-4 of the Gazettce No. 33, dated 19-8-78.
2. No. A-12(11)-6/82-Estt. I(A), dated 11-3-87, published in Part-III, Section-4 of the Gazette No. 14, dated 4-4-87.
3. No. 1(1)-3/72-Estt. I(A) Col. VI, dated 17-7-87 published in Part-III, Section-4 of the Gazette No. 33, dated 15-8-87.

3. Disqualification :

No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person :

shall be eligible for appointment to the said post. Provided that the Director General of the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

4. Power to Relax

Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he/she may, after taking prior approval of the Chairman, Employees State Insurance Corporation, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

5. Savings

Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SMT. KUSUM PRASAD
Director General

New Delhi, the 21st May 1991

No. U-16/53/90/Med.II(A.P.).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. V. R. Deshpandey of Sanathnagar Centre to function as medical authority w.e.f. 16-5-91 to 15-5-92 or till a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Sanathnagar area at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

The 4th June 1991

No. U-16/53/90-Med.II(W.B.).—In pursuance of the resolution passed at its meeting held on 25th April 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23rd May 1983, I hereby authorise following doctors to function as Medical Authority for the period as mentioned against each or till a full-time Medical referee joins, whichever is earlier for Calcutta area (West Bengal), Areas to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (East Zone), Calcutta on payment of monthly remuneration in accordance with the existing norms for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

1. Dr. N. M. Mukherjee—16-6-91 to 15-6-92.
2. (Lt. Col.) Dr. S. K. Das—1-7-91to 22-3-92.
3. Dr. S. K. Mukherjee—21-7-91 to 20-7-92.

DR. K. M. SAXENA
Medical Commissioner

New Delhi, the 29th May 1991

No. N-15/13/7/1/91-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-5-1991 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

"Area comprising the revenue Village CHIKKAMANDIGANA-HALLY in Hobli Kasaba in Taluk and District Hassan."

The 5th June 1991

No. N-12 13/2/91-P&D.—The following draft amendments to the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 which the Employees' State Insurance Corporation proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 97 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948), as amended,

is published as required by Sub-section (1) of the said Section for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft amendments will be taken into consideration on or after the 30th June 1991.

Any objection or suggestion received from any person with respect to the said draft amendment will be considered by the said Corporation.

Draft amendments to the ESI (General) Regulations, 1950.

The following new Regulation 31-C shall be inserted after Regulation 31-B of the ESI (General) Regulations, 1950.

"31-C **Damages on contributions or any other amount due, but not paid in time.**

An employer who fails to pay contribution within the periods specified under Regulation 31, or any other amount payable under the ESI Act, shall be liable to pay damages as under :—

Period of delay	Rate of damages in % per annum
(i) upto 2 months	5
(ii) 2 months and above but less than 4 months.	10
(iii) 4 months and above but less than 6 months	15
(iv) 6 months and above.	25

Provided that the Corporation, in relation to a factory or establishment which is declared as Sick Industrial Company and in respect of which a rehabilitation scheme has been sanctioned by the Board for Industrial and Financial Reconstruction, may :—

(a) in case of a change of management including transfer of Undertaking(s) to Workers' Co-operative or in case of merger or amalgamation of Sick Industrial Company with a healthy company, completely waive the damages levied or leviable;

(b) in other cases, depending on its merit, waive upto 50% damages levied or leviable;

(c) in exceptional hard cases, waive either totally or partially the damages levied or leviable".

A. C. JONEJA
Director (Plg. & Dev.)

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 3rd June 1991

No. 2/1959/DLP/Exemp/89/Pt.1/362.—WHEREAS M/s. The Mahendra Mills Lt. (GJ-353) Kalol (North Gujarat), have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014(228)86-SS-II dated 2-9-86 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 3-12-89 to 2-12-92 upto and inclusive of the 2-12-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

2. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completed in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt/868.—WHEREAS M/s. Srce Narasimha Textiles (P) Ltd., Kamampalayam, Sulur (P.O.) Coimbatore-641402 (TN)/1045) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. notification No. 2/1959DLI|Exem|89|Pt.I, dated 7-11-90 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 1-3-90 to 28-2-91 upto and inclusive of the 28-2-91.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

2. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./874.—WHEREAS M/s. Visakha Wire Ropes Ltd., Door No. 47-11-21, Dwarkanagar, Visakhapatnam (AP/13455) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule I annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Povident Fund Commissioner, Visakhapatnam from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-1-90 to 31-12-92.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an

establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insrance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled,

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DIJ/Exemp/89/Pt.I/880.—WHEREAS, The Bhilai Steel Plant, Bhilai-490001 (M.P./530) have applied for exemption under sub-section (2B) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Ast :

AND WHEREAS, I. B.N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2B) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014(198)/85-SS-IV dated 8-11-85 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I. B. N. SOM, hereby exempt regular employees of the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 8-11-88 to 28-2-90 upto and inclusive of the 28-2-90.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, Direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insrance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

2. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./886.—WHEREAS, M/s. Lakhanpal National Ltd., Makerpura, GIDC, Post Box No. 719, Baroda-390010 (GJ/7342) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule I annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Baroda from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-3-88 to 28-2-90.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme apropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. FP-2(132)91/858.—Whereas M/s National Mineral Development Corporation Limited, Masad Tank, Hyderabad-500028 has forwarded an application(s) in respect of its employee Sh. V. Rajgopalan (Code No. P/3676/1261) for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 under section 17(1-C) of Employees Provident Funds & Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

And whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, am satisfied that the benefits in the nature of Family Pension under the Government of India Pension Rules (C.C.S. Pension Rules) applicable to this individual employee of the said establishment are more favourable than the benefit provided under the Employees Family Pension Scheme, 1971.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1-C) of section 17 of the said Act, I, B.N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt, the above said individual Employee of the said establishment who was under the employment of the Central Government before absorption in the above establishment and was governed by the C.C.S. Pension Rules, from the operation of all provisions of the Employees Family Pension Scheme, 1971 with effect from the date of issue of the Notification or from the last date of service of those who retired after exercising option from 22-1-90 to 21-1-91 in terms of Govt. orders dated 22-1-90 on the following terms and conditions :

1. this employee will not be entitled to or claim any benefit(s) under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 from the date of exemption.

2. option once exercised for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 will be irrevocable.

3. The employer in relation to the said employee shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

The 4th June 1991

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/892.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C., Gujarat from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years.

SCHEDULE—I

REGION : GUJARAT

Sr. No.	Name & Address of the establishment.	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s Atic Industries Ltd. Registered Office, Head Office and Factory. P. O. Atul 396020 Dist. Valsad, Gujarat.	GJ/1058	1-1-88 to 31-12-90.	2/3433/91—DLI
2.	M/s. Ellisbridge Co-op. and Limited, Ajanta Commercial Centre, Ashram Road, Ahmedabad-380014.	GJ/4865	1-6-87 to 31-5-90.	2/3582/91—DLI
3.	M/s. Excel Shine Pvt. Ltd. Excel Estate, Post Box No. 18, Valsad-396001.	GJ/9552	1-3-88 to 28-2-91	2/3583/91—DLI
4.	M/s. Rang Sarjan Chemicals C-1/B/408, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar-393002.	GJ/9847	1-3-89 to 29-2-92	2/3584/91—DLI
5.	M/s. The Sahyog Co-op. Bank Limited., Ayojan Nagar, Ambawadi, Ahmedabad.	GJ/11943	1-9-87 to 31-8-90	2/3581/91—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection chrages as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 3rd June 1991

No. UT/DPD/606/SPD-161/90-91.—The Amendment in Provisions of the Unit Linked Insurance Plan (ULIP-71) formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by the Executive Committee in the Meeting held on 6th May, 1991 are published here below.

ANNEXURE

The following amendments to the provisions of the Unit Linked Insurance Plan—1971 are approved at the executive committee meeting held on May 6, 1991.

For the existing paragraph 2 of the provisions of Unit Linked Insurance Plan—1971 shall be substituted by the following :

(1) (a) An individual who has completed 12 years of age but not 55 years and 6 months of age (under the 10 year plan) and 50 years and 6 months of age (under the 15 year plan) as on the date on which his application is received by the Trust is eligible for participation in the plan.

(b) In case of participation by an individual whose age is less than 18 years, an application shall be made by his/her parent on behalf of the said minor individual.

(c) Where such an application is made on behalf of the minor individual, these provisions pursuant to which he has been made a member shall be binding on the minor member. Till the minor member attains the age of 18 years, the Trust shall direct all correspondence to the parent of the minor. As the minor member attaining the age of 18 years he shall be deemed fit to be participating on his own and the Trust shall thereafter enter into all correspondence with him directly.

(d) A parent applying on behalf of the minor member individual can't associate any second named persons in the application form.

(e) On attaining the age of 18 years the minor shall be authorised to appoint a second named person to participate jointly in the plan with him and the provisions of the Plan hereunder relating to the member and joint participants shall apply accordingly.

(2) In sub para (1) of paragraph 6 of the provisions of Unit Linked Insurance Plan—1971 the figure "Rs. 30,000/- shall be substituted by the figure Rs. 60,000/-".

(3) Sub para (3) of paragraph 6 of the provisions of Unit Linked Insurance Plan—1971 shall be substituted by the following :

The minimum target amount that can be availed of on an occasion shall be Rs. 6,000/-. Beyond that minimum the target amount can be availed of the multiples of Rs. 1,000/- in case of participation in 10 years plan and in multiples of Rs. 1,500/- in case of participation in 15 years plan.

(4) Sub para (4) of Paragraph 6 of the provisions of Unit Linked Insurance Plan—1971 shall be substituted by the following :

The condition of minimum target amount of Rs. 6,000/- as mentioned in sub paragraph 3 shall not be applicable —

(a) In case a member is already participated in 10 year plan for a target amount exceeding Rs. 54,000/- but not exceeding Rs. 59,000/- and wishes to reach the target amount of Rs. 60,000/- by availing of the balance; and

(b) In case a member is already participating in the 15 year plan for a target amount asceeding Rs. 54,000/- but not exceeding Rs. 58,500/- and wishes to reach the target amount of Rs. 60,000/- by availing of the balance.

(5) In paragraph 21 of the provisions of the Unit Linked Insurance Plan—1971 the amount of insurance cover payable as enshrined in the words commencing "Period elapsed..... to the date of death" shall be substituted by the following —

Period elapsed since the commencement of membership/ date of reinstatement & Amount
Less than 6 months—Refund of premia paid from the date of commencement or date of reinstatement of participation as the case may be, to the date of death.
Over 6 months less than one year—50% of the Life Insurance Cover.
Over one year—100% of the Life Insurance Cover.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1991